"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 9 जुलाई 2010—आषाढ़ 18, शक 1932

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 जून 2010

क्रमांक ई-01-01/2010/1/2.—श्री रामसिंह ठाकुर, भा.प्र.से. (2000), सचिव, राजस्व मण्डल, बिलासपुर को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ, छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ किया जाता है.

2. श्री रामसिंह ठाकुर, भा.प्र.से. द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से राज्य शासन, भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 2007 के नियम-9 के तहत प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ, छत्तीसगढ़ के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान के संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है.

...छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.

3. श्री ठाकुर द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर श्री अमृत कुमार खलखो, भा.प्र.से., उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ, छत्तीसगढ़ केवल प्रबंध संचालक, दुग्ध महासंघ, छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. जॉय उम्मेन, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक ई-1-8/2010/1/2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री पी. सी. दलेई, भा.प्र.से. (सीजी:1984) द्वारा सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 22-06-2010 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम 16 (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 28-06-2010 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 24 जून 2010

क्रमांक ई-7/2/2008/1/2.—श्री भुवनेश यादव, भा. प्र. से., तत्का. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ. ग.) को दिनांक 27-04-2010 से 07-05-2009 तक (11 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 08 एवं 09 मई 2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश काल में श्री यादव को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

3. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री यादव अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक ई-7/4/2008/1/2.—श्री मुकेश कुमार, भा.प्र.से., आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर, छ. ग. को दिनांक 24-4-2010 से 18-05-2010 तक (25 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा उन्हें रोटरी फाउंडेशन के व्यय पर न्यू-जर्सी (यू.एस.ए.) विदेश भ्रमण की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मुकेश कुमार आगामी आदेश तक आयुक्त, नगर पालिक निगम, बिलासपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री मुकेश कुमार को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मुकेश कुमार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक ई 7-04/2005/1/2.—श्री अन्बलगन पी., भा.प्र.से., संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर को दिनांक 08-06-2010 से 22-06-2010 तक (15 दिवस) का पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अन्बलगन पी. आगामी आदेश तक संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, छत्तीसगढ़, रायपुर के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री अन्बलगन पी. को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अन्बलगन पी. अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकुन्द गजभिये, अवर सचिव.

रायपुर, दिनांक 16 जून 2010

क्रमांक 588/494/2010/1-8/स्था.—श्री सतीश पाण्डेय, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 5-6-2010 से 11-6-2010 तक 07 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सतीश पाण्डेय को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सतीश पाण्डेय अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 590/512/2010/1-8/स्था.—श्री जय नारायण अवस्थी, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को दिनांक 7-6-2010 से 11-6-2010 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जय नारायण अवस्थी को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में इन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जय नारायण अवस्थी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 592/522/2010/1-8/स्था.—श्री के. डी. कुंजाम (राप्रसे), उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को दिनांक 26-4-2010 से 6-5-2010 तक 11 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. डी. कुंजाम को उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. डी. कुंजाम अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 594/513/2010/1-8/स्था.—श्री एन. के. शुक्ल (राप्रसे), संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग को दिनांक 22-6-2010 से 3-7-2010 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए दिनांक 4-7-2010 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एन. के. शुक्ल को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. के. शुक्ल अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 596/524/2010/1-8/स्था.—श्री के. एस. गुर्जर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 24-5-2010 से 1-6-2010 तक 09 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. गुर्जर को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. गुर्जर अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 598/397/2010/1-8/स्था.—श्री एम. एल. ताम्रकार, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग को दिनांक 31-5-2010 से 7-6-2010 तक 08 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. एल. ताम्रकार को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. एल. ताम्रकार अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 जून 2010

क्रमांक एफ-19-30/25-1/2008.—राज्य शासन एतद्द्वारा छ. ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग हेतु निम्नानुसार पूर्व में स्वीकृत सेटअप के अतिरिक्त तीन पदों के सृजन की स्वीकृति प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	स्वीकृत पद संख्या (3)	वेतनमान (4)	वेतन बैंड (5)
1.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	5200-20200	2200
2.	वाहन चालक	01	5200-20200	1900
3.	चौकीदार	01	4750-7440	1300

2. स्वीकृत पदों के संबंध में विभागीय आदेश क्रमांक 4612/25-2/आजाकवि/2006, रायपुर दिनांक 14-6-2006 द्वारा जारी शर्तें यथावत् रहेगी.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के यू. ओ. क्रमांक 213/29313/वित्त विभाग/ब-3/2010 दिनांक 7-6-2010 के द्वारा दी गई सहमति के आधार पर जारी की गई है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक/4558/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	अं. चौकी	हितागुटा प. ह. नं. 11	0.279	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, राजनांदगांव.	सांगली हितागुटा मार्ग के कि. मी. 3/8 शिवनाथ नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, मोहला के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक/5364/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पलान्दुर प. ह. नं. 11	1.60	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, खैरागढ़.	बेलगांव, डारागांव, पलान्दुर, केसली मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 17 जून 2010

क्रमांक 06/अ-82/2009-10/सा-1-सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मस्तूरी	बसहा	0.926	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि. सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर.	लीलागर नदी सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक/2070/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपलब्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपलब्ध उसके संबंध में लागू नहीं होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर	5.00	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बीजापुर.	सर्किट हाउस निर्माण हेतु.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2010

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./16/अ-82/वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कचना प. ह. नं. 40	523/1	0.425	कार्यपालन अभियंता, छ. ग. गृह निर्माण मंडल संभाग-4, रायपुर.	विभिन्न आय वर्ग के हितग्राहियों के आवास निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			523/2	1.279		
			523/3	0.425		
			523/4	0.425		
		योग	4	2.554		

रायपुर, दिनांक 3 जून 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 11 अ/82 वर्ष.2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	हसदा प. ह. नं. 18/11	538	0.030	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	हसदा-अमलीडीह के बीच पुल निर्माण हेतु.
			539	0.138		
			540	0.084		
			योग	0.252		

रायपुर, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक/क/भू-अर्जन/प्र.क्र. 10 अ/82 वर्ष 2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	भाटापारा	अमलीडीह प. ह. नं. 22/43	42/3	0.101	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ. ग.)	अमलीडीह हसदा मार्ग के कि. मी. 1/4 पर जमुनैया नाला पर पुल के निर्माण हेतु.
			45/1	0.150		
			45/4	0.105		
			45/5	0.053		
			46	0.263		
			योग	0.672		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 2 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	केवाली प. ह. नं. 1	0.089	कार्यपालन अभियंता, लो. नि. वि., सेतु निर्माण संभाग, रायगढ़.	केवाली-खड़गांव मार्ग के कि.मी. 2/4 पर सेतु के पहुंच मार्ग निर्माण हेतु भू-अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

धमतरी, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 445/02 अ/82/वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	मोंहदी प. ह. नं. 36	1.97	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	बिलोरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 442/03 अ/82/वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	राजपुर प. ह. नं. 36	2.82	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	बिलोरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 444/04 अ/82/वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	कुरूद	नारी प. ह. नं. 25	0.40	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	खट्टी एनीकट के पहुंच मार्ग का निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 18 जून 2010

क्रमांक 443/05 अ/82/वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	देवगांव प. ह. नं. 35	0.79	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	पनवई व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

धमतरी, दिनांक 24 जून 2010

क्रमांक 450/01 अ/82/वर्ष 2008-09/भू-अर्जन.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
धमतरी	मगरलोड	जामली प. ह. नं. 36	4.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, धमतरी कोड नं. 90.	बिलोरा जलाशय के नहर निर्माण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुरूद, मुख्यालय कुरूद, के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संगीता पी. कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/01/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	मुरता प. ह. नं. 13	0.10	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	लालपुर जलाशय योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/02/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	लालपुर प. ह. नं. 13	1.86	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	लालपुर जलाशय योजना निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/03/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	लालपुर प. ह. नं. 13	1.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	लालपुर जलाशय योजना निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/04/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	ढोलिया प. ह. नं. 23	2.42	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	झाल जलाशय योजना निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/06/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	परसदा प. ह. नं. 25	10.31	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	परसदा जलाशय योजना निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/07/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उंल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	नवागढ़	तिलईपार प. ह. नं. 01	1.96	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	बेलदहरा जलाशय योजना के नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/08/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	केशतरा प. ह. नं. 39	0.29	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तुमा-केशतरा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

दुर्ग, दिनांक 23 जून 2010

क्रमांक/09/अ-82/2010.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेमेतरा	तुमा प. ह. नं. 39	1.34	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग बेमेतरा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	तुमा-केशतरा मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, बेमेतरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बीजापुर, दिनांक 25 जून 2010

क्रमांक/2069/कले./भू-अर्जन/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बीजापुर
- (ख) तहसील-उसूर
- (ग) नगर/ग्राम-मोदकपाल, प. ह. नं. 16 मूरकीनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.30 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	155/8	1.15
	155/9	1.15
योग	2	2.30

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पुलिस थाना भवन मोदकपाल हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष के कार्यालय में किया जा सकेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. प्रसन्ना, कलेक्टर, एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक/4552/भू-अर्जन/2009.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगांव
- (ग) नगर/ग्राम-भांठा बम्हनी, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-183.99 वर्गमीटर

	खसरा नम्बर	रकबा (वर्ग मीटर में)
	(1)	(2)
	179/3	146.00
	194/3	37.99
योग	2	183.99

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सूखानाला बैराज सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डुबान में प्रभावित मकान का आंशिक प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक/4555/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुईखदान
- (ग) नगर/ग्राम-कोपेभाठा, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.67 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	170/2	0.27
	194	0.40
योग	2	0.67

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-दीनदयाल अटल अवास योजनांतर्गत पहुंच मार्ग.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक/4556/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-खैरागढ़
- (ग) नगर/ग्राम-लछना, प. ह. नं. 01
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-53.87 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
56/1	0.20
222	2.32
213/1	0.13
224/1	0.08
75/2	0.34
205/2	0.10
213/2	0.07
220/16	0.44
224/7	0.04
230/7	0.97
172/2	0.01
215/3	0.01
225/3	0.01
172/3	0.01
215/4	0.01
225/4	0.02
172/4	0.01
215/5	0.01
225/5	0.03
172/5	0.01
215/6	0.01
236/6	0.36
205/8	0.20
220/9	0.10
75/1	0.69
215/1	0.01
225/1	0.03
75/7	0.34
205/7	0.10
213/7	0.07
223/2	0.04
225/2	0.02
236/2	0.19
205/3	0.10
220/12	0.45
230/3	0.97
205/4	0.10
220/13	0.44
230/4	0.97
205/5	0.20
220/14	0.89
230/5	1.93
205/6	0.20
223/6	0.08

(1)	(2)
170/6	0.20
212/9	1.28
56/2	2.00
205/1	0.20
220/1	0.89
230/1	1.93
172/1	0.01
212/3	0.64
215/7	0.01
223/7	0.04
225/7	0.02
236/7	0.19
212/4	0.64
223/3	0.03
236/3	0.19
212/5	0.64
223/4	0.04
236/4	0.19
212/6	1.28
223/5	0.08
236/5	0.36
212/7	1.28
224/6	0.08
75/8	0.69
213/8	0.03
58	1.12
212/1	1.28
223/1	0.08
236/1	0.36
172/6	0.01
212/8	0.64
220/11	0.45
224/2	0.04
230/2	0.97
75/3	0.34
213/3	0.07
224/3	0.04
75/4	0.34
213/4	0.07
224/4	0.04
75/5	0.69
213/5	0.13
224/5	0.08
75/6	0.69
213/6	0.13
225/6	0.03
170/8	0.11
215/8	0.01
220/17	0.89
230/8	1.93
207/1	3.65
215/2	0.22
220/2	0.10
220/6	0.10
220/8	0.19
182	1.15
223/8	0.08
236/8	0.36
208	0.38
211	0.51
220/3	0.10
228	0.40
220/10	0.08
207/2	3.65
224/8	0.08
78/2	0.68
209	1.04
229	0.18
220/4	0.20
173	0.10
220/15	0.89
225/8	0.03
171	0.13
210	0.25
218	0.26
220/5	0.14
220/7	0.20
230/6	1.93
योग 122	53.87

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-प्रधानपाठ बैराज योजना के अन्तर्गत डुबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 5 जून 2010

क्रमांक/4557/भू-अर्जन/2010.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुरिया
(ग) नगर/ग्राम-आतरगांव, प. ह. नं. 59
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.254 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	434/11	0.065
	434/8	0.012
	433/3	0.049
	433/5	0.020
	434/5	0.275
	434/10	0.049
	436/6	0.040
	436/8	0.073
	436/1	0.202
	436/4	0.012
	492/3	0.012
	493	0.243
	485/11	0.032
	486	0.113
	490	0.073
	491	0.008
	489/1	0.138
	478	0.142
	542/1	0.008
	542/2	0.008
	540	0.040
	546	0.049
	545/1	0.130
	545/2	0.182
	437/1	0.101
	542/3	0.178
योग	26	2.254

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घुमरियानाला बैराज परियोजना के बायीं तट के अंतर्गत लघु नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व), डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायगढ़
(ख) तहसील-पुसौर
(ग) नगर/ग्राम-पुसल्दा, प. ह. नं. 28
(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.037 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
452/2	0.153
444/2	0.049
809	0.258
811	0.194

(1)	(2)
797/2	0.089
807/1	0.234
808	0.190
796	0.028
731/2	0.024
425	0.028
424	0.145
447	0.077
427	0.085
430	0.065
467/3	0.041
431	0.097
708	0.073
712/2	0.085
712/1	0.020
678/1	0.020
691	0.008
693	0.065
806/2	0.101
572	0.004
574	0.020
690/1	0.077
727/2	0.028
692	0.057
721/2	0.032
721/1	0.040
580	0.004
568/3	0.008
573/2	0.073
569/2	0.008
575	0.607
682	0.024
712/3	0.012
428/1	0.024
428/2	0.008
426/1	0.125
426/2	0.012
794/1	0.049
794/2	0.041
797/1	0.045
581/1	0.097
432	0.049
435	0.008
441	0.008
733	0.370
729	0.040
732	0.049
660/6	0.032
625	0.020
678/2	0.097
728/2	0.020
730	0.081
681/1	0.177
728/3	0.129
666	0.012
717	0.113
724	0.016
722	0.065
723/1	0.041
429/2	0.242
795/1	0.081
798	0.004
806/1	0.104
440/4	0.061
681/2	0.177
690/2	0.069
727/3	0.089
727/4	0.024
448/2	0.061
468/1	0.061
468/2	0.085
468/3	0.049
623/1	0.024
712/4	0.030
713/2	0.065
योग 78	6.037

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 09/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.297 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
81/2	0.049
105/4	0.024
19/1	0.004
21	0.157
23/1	0.045
79	0.105
69	0.085
78	0.012
80	0.133
81	0.020
68/2	0.073
68/1 ख	0.041
77/4	0.053
73/3	0.012
107	0.004
105/2	0.012
105/3	0.008
104	0.036
98	0.105
99/2 ख	0.036
99/2 क	0.041
101	0.057
76/1	0.057
88/3	0.020
102/1	0.061
76/2	0.081
103/1	0.057
103/2	0.041
91/1	0.004
96/1	0.036
99/1	0.089
88/2	0.024
97/1	0.032
97/2	0.020
97/3	0.040
97/7	0.113
97/8	0.077
23/2	0.105
100/1	0.032
100/4	0.049
100/5	0.045
100/6	0.032
77/5	0.065
77/6	0.105
योग 44	2.297

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 17 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 13/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-जतरी, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.514 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
499/6	0.057
361/1 ग	0.177
361/1 ढ़	0.085
512/3	0.145
512/1	0.089
361/क/1	0.222

(1)	(2)	(1)	(2)
485/3	0.101	871	0.117
378/1	0.318	407/2	0.004
377/1	0.020	726/5	0.121
363/1	0.012	406/1	0.146
499/4	0.012	479/2	0.008
499/5	0.097	859/4	0.177
722/2	0.004	406/4	0.008
512/2	0.012	428/2	0.145
512/4	0.049	715/2	0.020
512/5	0.12	439	0.004
515/2	0.004	375/2	0.032
727/2	0.057	478/2	0.049
378/2	0.004	429/1	0.081
427	0.008	465/4	0.024
715/1 ख	0.024	480/2 ख	0.089
409	0.057	892	0.077
440/1	0.109	705/1	0.045
860/2 क	0.077	888/1	0.222
864/1	0.109	408/2	0.109
869/1	0.049	429/3	0.008
414/3	0.008	428/1	0.061
726/2	0.012	891	0.093
705/4	0.056	465/1 ख	0.069
887/2	0.065	480/1 क	0.069
860/2 ख	0.004	366	0.362
890/2	0.057	465/1 क	0.061
890/5	0.012	465/3	0.008
361/1 ख	0.089	714/6	0.382
360/1 क	0.093	464	0.045
429/1	0.081	466	0.016
890/3	0.024	485/1	0.020
365/2	0.073	486	0.202
363/2 क	0.089	713/3	0.045
367/2	0.089	726/1	0.109
705/2	0.008	380/3	0.226
888/3	0.169	441/1	0.073
408/3	0.137	442/1	0.072
890/7	0.016	478/1	0.004
890/4	0.113	728/3	0.057
728/2 क	0.162	721	0.012
886	0.114	706	0.109
887/1	0.101	414/1	0.049
869/2	0.041	414/2	0.137
867	0.081	515/1	0.105
889/1	0.004	485/2	0.101
408/1	0.024	707	0.004

	(1)	(2)
	860/1 ख	0.077
	715/1 क	0.173
योग	100	7.514

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-केलो मुख्य नहर से अमलीपाली वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-कोतासुरा, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.358 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
56/1	0.142
63	0.002
64/2	0.105
79/3	0.024
119	0.049
506	0.020
513	0.020
543	0.057
546/3	0.222
753/2	0.016
752/3	0.012
750/2	0.028
755/1	0.041
757/2	0.008
760/1	0.024
890	0.032
895/2	0.064
754/3	0.037
750/1	0.077
751/2	0.081
57/1	0.022
56/2	0.032
77/2	0.024
81	0.275
120	0.117
752/2	0.012
519/1	0.028
544	0.299
753/1	0.016
61/1	0.162
64/1	0.356
79/4	0.045
113	0.024
121	0.162
507	0.006
520	0.162
545	0.093
758/1	0.024
550/2	0.004
752/1	0.012
751/3	0.008
755/2	0.024
759/1	0.008
858	0.073
893	0.016
949/1	0.162
886/2	0.490
883/4	0.024
61/2	0.113
892	0.069
80/9	0.085
115	0.016
122	0.024
508/1	0.117
521	[illegible]
546/1	0.024
548/2	[illegible]
746/1	[illegible]
758/2	[illegible]
746/2	0.117

(1)	(2)
750/3	0.057
755/3	0.028
760/2	0.020
761	0.045
891	0.041
896	0.202
754/2	0.012
859	0.061
759/2	0.038
951/5	0.004
751/7	0.024
757/1	0.028
763	0.024
889	0.004
895/1	0.170
950	0.125
509	0.012
751/1	0.020
योग 78	5.358

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छिछोली, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.149 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
31	0.004
43/3	0.016
47/7	0.032
47/3	0.053
63/1	0.097
47/2	0.081
73/1	0.032
41/1	0.[illegible]7
44	0.[illegible]1
53/2	0.061
55/1	0.081
57/1	0.101
59/6	0.113
46	0.081
69/2	0.176
42/2	0.093
47/6	0.065
60/3	0.113
82/2	0.089
59/7	0.041
43/2	0.065
49/404	0.049
53/1	0.061
62/8	0.036
62/7	0.049
40	0.221
72	0.141
योग 27	2.149

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-छिछोर उमरिया, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-6.273 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
36/3	0.189
36/5	0.036
1386	0.154
51/5	0.283
54	0.028
92/2	0.033
95/1	0.024
100/1	0.036
188/1	0.012
594/2	0.006
370/1	0.020
209/1	0.016
210/1	0.024
210/2	0.024
614/1	0.049
223/2	0.050
265/1	0.004
300	0.045
301	0.036
299	0.024
346/3	0.036
351	0.012
353	0.049
606	0.049
1[illegible]88	0.154
13	0.024
13[illegible]1/2	0.016
5[illegible]/1	0.032
3[illegible]/4	0.105
5[illegible]/1	0.032
5[illegible]/4	0.016
264	0.057
9[illegible]/3	0.069
344/2	0.101
186	0.097
1581/1	0.012
368	0.004
283	0.008
209/6	0.006
614/2	0.032
214	0.016
223/3	0.032
225/1	0.024
285/1	0.049
287/1	0.032
1598/1	0.077
350	0.036
348	0.045
352	0.012
1578/1	0.069
613	0.073
616/2	0.004
1381/1	0.016
1383/1	0.117
1398/1	0.098
1580/1	0.089
1701	0.061
1394/1	0.105
202	0.004
89	0.012
37/2	0.049
37/1	0.105
1392	0.002
53/1	0.016
57	0.065
93/2	0.032
95/2	0.089
101/2	0.085
188/2	0.008
1579/1	0.065
207/2	0.040
209/4	0.016
213	0.041
1380/1	0.032
220	0.036
224	0.065
284	0.028
615	0.097
287/2	0.008
1579/2	0.016
346/2	0.016
1712	0.102

(1)	(2)
370/2	0.020
607	0.032
1389	0.089
644	0.049
1382/2	0.048
1575/2	0.101
1582/1	0.053
1709	0.065
1399	0.016
605	0.097
50/ख	0.016
1576/2	0.085
592	0.016
1710	0.041
609/4	0.004
101/1	0.061
36/4	0.032
37/5	0.073
55/1	0.024
52/1	0.081
92/1	0.040
94	0.032
95/5	0.036
187/1	0.089
207/1	0.028
369	0.162
1581/2	0.045
209/7	0.020
1387/1	0.006
219	0.028
1703	0.020
303/1	0.016
286	0.049
295	0.024
342	0.024
341	0.036
349	0.032
1711	0.049
1582/2	0.028
1385	0.041
616/3	0.057
1382/1	0.073
1393	0.125
1577/1	0.081
1702	0.065
1713/1	0.002
99/2	0.057
603	0.002
योग 130	6.273

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-पुसौर

(ग) नगर/ग्राम-नंदेली, प. ह. नं. 37

(घ) लगभग क्षेत्रफल-7.837 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
12/5	0.049
16/4	0.049
148/3	0.008
45/1	0.166
557/1	0.041
46/1	0.105
578/2	0.065
142	0.016
139/1	0.093
144	0.061
147/1	0.073
167/1	0.162
905/3	0.065

(1)	(2)	(1)	(2)
905/4	0.045	181	0.016
193/4	0.024	193/2	0.073
597/4	0.279	149/2	0.207
552/2	0.019	910	0.033
577/9	0.121	140	0.036
928/2	0.032	145	0.049
624	0.198	165/7	0.089
907/1	0.033	904/4	0.004
915	0.109	918	0.057
951/2	0.133	183/1	0.348
551/2	0.049	550/2	0.040
553/1	0.032	550/5	0.049
561/2	0.030	578/1	0.097
917	0.032	623/1	0.275
928/9	0.008	937	0.138
16/3	0.073	905/1	0.004
165/8	0.069	913/2	0.105
147/2	0.065	934/1	0.065
12/987	0.004	951/3	0.138
45/2	0.134	555/2	0.077
46/2	0.089	559/2	0.024
951/4	0.142	928/1	0.024
933	0.041	44/986	0.032
903/3	0.004	928/3	0.036
911	0.041	942	0.016
165/6	0.012	16/5	0.162
555/3	0.032	555/1	0.089
173/2	0.057	16/1	0.073
180	0.073	141	0.147
550/1	0.032	183/2	0.006
550/6	0.025	47	0.002
562/5	0.089	136/1	0.008
597/2	0.061	928/4	0.055
936/1	0.061	146	0.057
904/2	0.004	148/4	0.141
912	0.049	168/3	0.041
940	0.004	905/2	0.049
610	0.032	907/2	0.081
552/4	0.057	550/4	0.040
558	0.045	551/1	0.032
941/1	0.065	581/1	0.291
934/2	0.032	609/1	0.121
928/6	0.049	608	0.121
12/10	0.137	905/5	0.033
167/2	0.016	914	0.077
166/1	0.032	949/4	0.186

	(1)	(2)
	951/6	0.024
	935	0.032
	560/2	0.059
	607	0.065
	928/5	0.032
	928/8	0.058
योग	111	7.837

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविंभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-टिनमिनी, प. ह. नं. 41
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.754 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7/1	0.291
	11/3	0.028
	14	0.028
	194/1	0.029
	17/4	0.041
	194/2 ख	0.032
	195/3	0.030
	196/4	0.030
	13/2	0.045
	16/1	0.125
	17/1	0.045
	18/1	0.008
	194/5	0.030
	196/1	0.030
	11/2	0.028
	9	0.315
	13/1	0.030
	15/1	0.089
	16/3	0.100
	17/5	0.020
	194/2 ग	0.034
	195/4	0.050
	11/1	0.025
	13/3	0.040
	16/2	0.066
	17/3	0.056
	19/2	0.012
	195/1	0.040
	196/2	0.057
योग	29	1.754

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 19 मई 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2009-10.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-पुसौर
- (ग) नगर/ग्राम-रैबार, प. ह. नं. 38
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.245 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/5	0.268
133/2	0.101
51/2	0.024
51/1	0.089
55/1 क	0.053
59	0.244
116/15	0.061
128/2	0.073
133/10	0.049
47	0.121
49/2	0.089
134	0.125
53	0.065
58	0.081
116/9	0.207
127/2	0.004
133/7	0.032
46/1	0.073
48	0.032
129	0.137
54	0.161
56	0.057
116/3	0.277
127/5	0.058
133/3	0.028
107/4	0.008
49/1	0.664
142	0.648
63	0.041
57	0.121
116/12	0.024
128/1	0.145
133/6	0.085
योग 33	4.245

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण- केलो मुख्य नहर से छिछोर उमरिया वितरक नहर के निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 21 जून 2010

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-बनसियां, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
820/2	0.028
1033	0.255
820/1271	0.081
1031	0.166
1030/3	0.040
1032/1	0.065
1030/6	0.413
1030/8	0.040
1032/2	0.069
1030/9	0.186
1030/1270	0.070
1034/1/3	0.093

(1)	(2)
1030/10	0.061
1134/1/1	0.093
1034/1/2	0.041
1034/2	0.053
1036/1	0.223
1036/2	0.089
1036/3	0.030
1036/4	0.032
1036/5	0.040
1036/6	0.028
1037	0.200
1038	0.080
1039	0.068
1040/4	0.044
1176/1	0.174
1176/2	0.174
1178	0.174
योग 29	3.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण-बनसियां जलाशय का निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 4091/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना गंज मंडी क्षेत्र विकास योजना (ग्राम रायपुर खास प. ह. नं. 106 "अ") में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

उत्तर में :— खसरा नं. 241, 489

पूर्व में :— खसरा नं. 223, 237, 486, 488, 489

दक्षिण में :— खसरा नं. 221

पश्चिम में :— खसरा नं. 221, 241

No. 4091/रा.शा./वि.प्रा./2010.— It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for New Yojana Ganj Mandi Area Development Scheme Vill-Raipur Khas P.H.N. 106 "अ".

North :— Kha. No. 241, 489

East :— Kha. No. 223, 237, 486, 488, 489

South :— Kha. No. 221

West :— Kha. No. 221, 241

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 4091/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना रायपुरा में विशेषीकृत व्यावसायिक क्षेत्र का विकास योजना (ग्राम रायपुरा प. ह. नं. 35) में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

उत्तर में :— खसरा नं. 10, 12/1, 15, 17, 21/1, 22, 41, 42, 38 तक.

पूर्व में :— खसरा नं. 38, 36, 33, 31, 78 का भाग, 79 का भाग, 80/1 का भाग, 80/2 का भाग, 82 का भाग तक.

दक्षिण में :— खसरा नं. रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में प्रावधानित मुख्य मार्ग की सीमा से लगे हुये खसरा नं. 82 का भाग, 84 का भाग, 83 का भाग, 88 का भाग, 75 का भाग, 74 का भाग, 73 का भाग, 72/2 का भाग, 72/1 का भाग, 71/3 का भाग, 71/2 का भाग, 71/1 का भाग, 70 का भाग, 69, 67, 65/1, 64 तक.

पश्चिम में :— नाले के किनारे-खसरा नं. 64, 63, 62, 61, 59, 57, 56, 55, 54/3, 54/2, 54/1, 10 तक.

No. 4091/रा.शा./वि.प्रा./2010.— It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for New Yojana Specialized Commercial Zone Development Scheme Vill-Raipura P.H.N. 35.

North :— Kha. No. Up to 10, 12/1, 15, 17, 21/1, 22, 41, 42, 38.

East :— Kha. No. Up to 38, 36, 33, 31, Part of 78, Part of 79, Part of 80/1, Part of 80/2, Part of 82.

South :— Up to Kha. No. Part of 82, Part of 84, Part of 83, Part of 88, Part of 75, Part of 74, Part of 73, Part of 72/2, Part of 72/1, Part of 71/3, Part of 71/2, Part of 71/1, Part of 70, 69, 67, 65/1, 64 Parallel to major road as proposed by Raipur Vikas Yojna Punervilokit 2021;

West :— Along Drain-Kha. No. Up to 64, 63, 62, 61, 59, 57, 56, 55, 54/3, 54/2, 54/1, 10.

रायपुर, दिनांक 28 जून 2010

क्रमांक 4091/रा.शा./वि.प्रा./2010.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 50 की उपधारा (2) के अधीन सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा यह घोषित किया जाता है तथा प्रकाशित किया जाता है कि रायपुर विकास प्राधिकरण नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी द्वारा नई योजना रायपुरा में आवासीय क्षेत्र का विकास (ग्राम रायपुरा प. ह. नं. 35) में नगर विकास स्कीम तैयार करने का आशय रखता है.

योजना की चतुर्सीमा निम्नानुसार है :—

पूर्व में :— खसरा नं. 327, 288, 285, 284 तक.

दक्षिण में :— खसरा नं. 281, 282, 280/3, 281 का भाग, 118 का भाग रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में [illegible]धानित मुख्य मार्ग की सीमा से लगे हुये खसरा नं.-281 का भाग, 118 का भाग, 117, 116, 115 का भाग, 90, 91, [illegible], 93/3, 114 का भाग, पूर्व की ओर लगे हुये खसरे-94/1, 94/2, 101, 102, दक्षिण की ओर के खसरे-102 तक.

पश्चिम में :— खसरा नं. 102, 101, 94/2, 94/1, 95, 96, उत्तर की ओर रायपुर विकास योजना पुनर्विलोकित 2021 में प्रावधानित मार्ग की सीमा से लगे हुये खसरा नं. 72/1 का भाग, 72/2 का भाग, 73 का भाग, 74 का भाग, 75 का भाग, 88 का भाग, 83 का भाग, 84 का भाग, 82 का भाग, 296/2, पश्चिम की ओर खसरा नं. 296/2, 82 का भाग, 80/2 का भाग, 80/1 का भाग, 79 का भाग, 78 का भाग, 31 का भाग तक.

उत्तर में :— खसरा नं. 31, 30, 302, 303/2, 303/1, 313, 314, 316, 315, 288, 327 तक.

No. 4091/रा.शा./वि.प्रा./2010.— It is hereby declared and published for the information of the general public under sub-section (2) of section 50 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 that the Raipur Development Authority Town and Country Development Authority intend to prepare Town Development Scheme for New Yojana Residential Area Development Scheme Vill-Raipura P.H.N. 35.

East :— Kha. No. Up to 327, 288, 285, 284.

South :— Kha. No. Up to 281, 282, 280/3, Part of 281, Part of 118, Kha No. Part of 281, Part of 118, Part of 117, 116, 115, 90, 91, 92, 93/3, Part of 114, Parallel to major road as proposed by Raipur Vikas Yojna Punervilokit 2021, Kha. No. 94/1, 94/2, 101, 102, adjoining to East, Kha. No. 102 towards South.

West :— Kha. No. Up to 102, 101, 94/2, 94/1, 95, 96; Kha. No. Part of 72/1, Part of 72/2, Part of 73, Part of 74, Part of 75, Part of 88, Part of 83, Part of 84, Part of 82, Part of 296/2, towards North Parallel to major road as proposed by Raipur Vikas Yojna Punervilokit 2021, Kha No. 296/2, Part of 82, Part of 80/2, Part of 80/1, Part of 79, Part of 78, Part of 31 towards West.

North :— Kha. No. Up to 31, 30, 302, 303/2, 303/1, 313, 314, 316, 315, 288, 327.

एस. एस. बजाज,
अध्यक्ष.

कार्यालय, सक्षम अधिकारी सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.), जांजगीर, जिला जांजगीर-चांपा (छ. ग.)

जांजगीर, दिनांक 21 जून 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4444/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नरियरा ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतंद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर, जांजगीर-चांपा छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर :	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1604/1	1.00
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1681/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1681/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1682/4	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1682/5	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1683/1	0.15
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1683/2	0.18
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1683/3	0.16
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/1	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/2	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/3	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/4	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/5	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/6	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1684/7	0.01
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1689/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1690	0.20
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1692/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1662/4	0.25
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1692/5	0.20
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1692/6	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1713/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1713/2	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1713/3	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1715/1	0.08
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1710/1	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1710/2	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1710/3	0.13
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1711	0.22
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	2667/1	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	2667/2	0.07
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	2668/1	0.11
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	नरियरा/9	1669	0.22
				4.15

जांजगीर, दिनांक 21 जून 2010

प्रारूप-ख

[नियम-5 का उपयोग (1) देखें]

क्रमांक/4444/प्र.-2/अ.अ./2010.—राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बनाहील ग्राम बसंतपुर तहसील चाम्पा, जिला जांजगीर-चाम्पा से परिवहन हेतु ग्राम नरियरा, तहसील अकलतरा, जिला जांजगीर-चाम्पा तक मेसर्स वर्धा पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भूमिगत पाईप लाईन बिछाई जानी चाहिए.

और राज्य सरकार को उक्त भूमि पाईप लाईन बिछाने के लिये यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उसे भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईप लाईन बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.

अतएव, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भूमिगत पाईप लाईन (भूमि के उपयोग के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2004 (क्रमांक 07 सन् 2004) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उस भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.

कोई व्यक्ति जो उस उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होने के इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन बिछाये जाने के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) जांजगीर, जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा.

अनुसूची

जिला	तहसील का नाम	ग्राम/प. ह. नं.	खसरा नंबर	उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (एकड़ में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
जांजगीर-चाम्पा	अकलतरा	बनाहील/10	223/1	0.33
				0.33

आर. सी. श्रीवास्तव,
सक्षम अधिकारी,
सह अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

राजस्व मण्डल छत्तीसगढ़, बिलासपुर

बिलासपुर, दिनांक 11 जून 2010

क्रमांक 814 स्थापना/रा. मं./2010.—पूर्व में इस कार्यालय के द्वारा जारी आदेश क्रमांक 4097/स्थापना/रा.मं./2008, बिलासपुर, दिनांक 17-11-2008 एवं क्रमांक 24/स्थापना/रा. मं./2008, बिलासपुर दिनांक 15-01-2009 को अतिक्रमित करते हुए प्रशासकीय कारणों से अध्यक्ष एवं सदस्य, छत्तीसगढ़ राजस्व मण्डल के मध्य न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई एवं निवर्तन हेतु निम्नानुसार कार्य विभाजन किये जाते हैं—

(अ) राजस्व मण्डल की पीठ

राजस्व मण्डल की दो सदस्यीय पूर्ण पीठ होगी, जिसकी संरचना निम्नानुसार होगी :—

1. अध्यक्ष, राजस्व मण्डल एवं
2. सदस्य, राजस्व मण्डल

(ब) छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के क्षेत्राधिकार के प्रकरण एवं अन्य अधिनियमों के अंतर्गत प्रकरण—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य	क्षेत्राधिकार
1.	श्री टी. राधाकृष्णन् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ. ग.	राजस्व जिला बिलासपुर, सरगुजा (अंबिकापुर), रायगढ़, रायपुर, दुर्ग, महासमुंद.
2.	श्री बी. एल. अग्रवाल सदस्य, राजस्व मण्डल, छ. ग.	राजस्व जिला धमतरी, जांजगीर-चांपा, कोरबा, राजनांदगांव, कवर्धा, कांकेर, बस्तर (जगदलपुर), दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) बीजापुर, नारायणपुर, जशपुर, कोरिया.

(स) स्थगन आवेदन पंत्र

अध्यक्ष अथवा सदस्य की अनुपस्थिति में उनके न्यायालय के स्थगन आवेदन पत्रों की सुनवाई की व्यवस्था निम्नानुसार की जायेगी—

क्रमांक	अनुपस्थित न्यायालयीन अध्यक्ष/सदस्य	सुनवाई हेतु न्यायालय
1.	श्री टी. राधाकृष्णन् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ. ग.	श्री बी. एल. अग्रवाल सदस्य, राजस्व मण्डल, छ. ग.
2.	श्री बी. एल. अग्रवाल सदस्य, राजस्व मण्डल, छ. ग.	श्री टी. राधाकृष्णन् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ. ग.

(द) विशेष परिस्थिति में प्रकरणों की सुनवाई एवं क्षेत्राधिकार के संबंध में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छत्तीसगढ़ के द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

(इ) प्रकरणों की सुनवाई हेतु नियत दिवस निम्नानुसार है—

क्रमांक	अध्यक्ष/सदस्य		क्षेत्राधिकार
1.	श्री टी. राधाकृष्णन् अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, छ. ग.	1.	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः सोमवार एवं मंगलवार
		2.	राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यतः गुरुवार एवं शुक्रवार
2.	श्री बी. एल. अग्रवाल सदस्य, राजस्व मण्डल, छ. ग.	1.	सर्किट कोर्ट, रायपुर सामान्यतः बुधवार, गुरुवार एवं शुक्रवार
		2.	राजस्व मण्डल, मुख्यालय, बिलासपुर सामान्यतः माह के (अंतिम सप्ताह को छोड़कर) प्रत्येक सप्ताह के सोमवार एवं मंगलवार

(इ) प्रकरण की सुनवाई हेतु नियत समय—

1. न्यायालयीन प्रकरणों की सुनवाई कार्य दिवसों में सामान्यत: प्रात: 11.00 बजे से प्रारंभ होकर अपरान्ह 2.00 बजे तक.

2. सामान्यत: शनिवार को प्रकरणों की सुनवाई नहीं होगी.

(उ) प्रकरणों के पंजीकरण की व्यवस्था पूर्ववत् रहेगी.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

टी. राधाकृष्णन्
अध्यक्ष.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 24th June 2010

No. 255/L.G./2010/II-2-12/2009.—Shri A. K. Goyal, District & Sessions Judge, Dakshin Bastar (Dantewara) is hereby, granted earned leave for 04 days from 28-06-2010 to 01-07-2010 with permission to prefix holiday of 27-06-2010 (Sunday) along with permission to leave headquarters after the office hours on 26-6-2010 till before the office hours on 02-07-2010.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Goyal, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 225 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,
BALINDAR SINGH SALUJA, Additional Registrar.

बिलासपुर, दिनांक 20 जून 2010

क्रमांक 79/दो-2-17/2004.—श्री सनमान सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव को उनके आवेदन पत्र दिनांक 30-04-2010 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2007 से 31-10-2009 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
एम. पी. बिसोई, लेखाधिकारी.